बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 160647 पटना, दिनांक 22-08-2013

ग्रा.वि.-7(आं0)-40/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषयः- मनरेगा अन्तर्गत अनुमान्य कार्यान्वयन निकायों के माध्यम से ही कार्य कराने के संबंध में ।

महाशय,

मनरेगा के अद्यतन मार्ग-निर्देशिका की कंडिका 7.6 अन्तर्गत कार्यान्वयन निकाय निम्नवत् परिभाषित है :-

7.6.1 ग्राम पंचायत महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों को निष्पादित करने के लिए एकल महत्वपूर्ण एजेंसी है क्योंकि अधिनियम की धारा 16(5) में यह अधिदेशित है कि एक योजना के अंतर्गत लागत के अनुसार कम से कम 50 प्रतिशत कार्य कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को आवंटित किए जाने चाहिए।

7.6.2 अन्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां, केन्द्र अथवा राज्य सरकार के लाइन विभाग हो सकते हैं, जिला पंचायत (जिला परिषद), मध्यम स्तर पर पंचायत (पंचायत समिति), ग्राम पंचायत अथवा अन्य कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी उपक्रम अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत गैर–सरकारी संगठन एक योजना के अंतर्गत शुरू किए गए किसी भी कार्य के कार्यान्वयन को हाथ में ले सकता है।

ऐसे दृष्टांत आ रहे हैं जहाँ जिलो द्वारा इनसे भिन्न एजेंसियों को कार्यान्वयन निकाय बनाया जा रहा है तथा उनका खाता खोलकर CPSMS में उसे निबंधित करने का अनुरोध प्राप्त हो रहा है । उदाहरण स्वरूप कुछ जिलों द्वारा जिला अभियंता, जिला परिषद् को ही कार्यान्वयन निकाय बना दिया गया है, जबकि जिला अभियंता, जिला परिषद् मनरेगा अन्तर्गत कार्यान्वयन निकाय नहीं हो सकते हैं, अपितु जिला परिषद् कार्यान्वयन निकाय हो सकता है, जिनके खाते का संचालन सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा ।

जिला परिषद द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी उप विकास आयुक्त जो जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, की है ।

इसी प्रकार कतिपय जिलो के प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से खाते खोलकर उनको CPSMS में निबंधित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है । प्रखंड विकास पदाधिकारी मनरेगा अन्तर्गत कार्यान्वयन निकाय नहीं है, अपितु पंचायत समिति कार्यान्वयन निकाय है । प्रखंड विकास

20.8.13

A

पदाधिकारी पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी है । इसलिए पंचायत समिति के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी उनकी है । इसलिये खाता, संबंधित पंचायत समिति जिसे कार्यान्वयन निकाय बनाया गया है के नाम से होंगा तथा उसका संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा लेखापाल के संयुक्त हस्ताक्षर सहित किया जाना है ।

ऐसे भी दृष्टांत है जहॉ पंचायत समिति के योजना मद के दो खाते संधारित है जिसमें एक का संचालन कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा तथा दूसरे का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है, यह उचित नहीं है, किसी भी निकाय का योजना मद का मात्र एक खाता होना चाहिए जिसका संचालन सक्षम प्राधिकार द्वारा ही किया जाना चाहिए ।

अतः अनुरोध है कि मनरेगा अन्तर्गत अनुमान्य कार्यान्वयन निकायों को ही कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा जाए । इन निकायों के खातों का संचालन सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा । किसी निकाय द्वारा योजना मद में मात्र एक खाते का संधारण किया जाएगा ।

कृपया इसे सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन

20.8.13

(अमृत लाल मीणा)
सचिव

A